बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक–वि० प्रा० एवं त० शि० (x) विविध–01 / 2026 / 6464 / पटना, दिनांक:– 12.10.2026

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार, भा.प्र.से.,
निदेशक।

सेवा में,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय /
सभी राजकीय राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, बिहार ।

पटना, दिनांक–.....

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्र विकास निधि की राशि के व्यय के मदों एवं अधिसीमा के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र विकास निधि की राशि के व्यय के संबंध में मदों एवं अधिसीमा तथा अन्य संगत निर्देशों को अनुलग्नक–1 के रुप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/10/2026,

(मनोरंजन कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक– वि० प्रा० एवं त० शि० (x) विविध–01 / 2026 / 6464 / पटना, दिनांक: 12.10.2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / माननीया मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव / निदेशक / सभी संयुक्त सचिव / संयुक्त निदेशक (प्र.) / विशेष कार्य पदाधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सहायक निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार / कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना / सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, बिहार / आई. टी. प्रबंधक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2026,

निदेशक।

अनुलग्नक :– 1

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र/छात्राओं से प्राप्त छात्र विकास शुल्क की राशि के व्यय के लिए नियत मद एवं व्यय सीमा।

क्र.	मद का नाम	निर्धारित राशि
1.	प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट गतिविधियों के व्यय हेतु।	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए ₹250/–(दो सौ पचास) मात्र तथा पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए ₹150/–(एक सौ पचास) प्रति छात्र एवं छात्रा। (राशि का वितरण पत्रांक–2584, दिनांक–25.08.2022 के अनुरूप)
2.	आमंत्रित वक्ताओं/विषय विशेषज्ञों का पारिश्रमिक हेतु।	निर्धारित मानदेय :– राज्य के अन्दर के विशेषज्ञ के लिए ₹2500/–(दो हजार पाँच सौ) प्रतिदिन, राज्य के बाहर के विशेषज्ञ के लिए ₹5000/–(पाँच हजार) प्रतिदिन
3.	प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं/पुस्तकालय /E-Library आदि की मरम्मति, रख–रखाव तथा आवश्यक सामग्री, औजार एवं पुस्तकों के क्रय हेतु।	50,000/–(पचास हजार) प्रति वित्तीय वर्ष
4.	संस्थान के सौंदर्यीकरण के लिए साफ–सफाई तथा पेड़–पौधों के क्रय एवं रख–रखाव हेतु।	अधिकतम 10,000/– (दस हजार) प्रतिमाह तथा अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख) प्रति वित्तीय वर्ष
5.	आकस्मिक परिस्थितियों यथा घटना, दुर्घटना, विधि–व्यवस्था आदि के लिए।	50,000/–(पचास हजार) प्रति वित्तीय वर्ष
6.	छात्रहित में छात्रों से संबंधित कार्यक्रम यथा इंडक्शन प्रोग्राम/सॉफ्ट स्किल/इंडस्ट्री इनट्रेक्शन प्रोग्राम/मेंटल हेल्थ प्रोग्राम/ छात्र विकास कार्यक्रम यथा कार्यशाला/सम्मेलन का आयोजन/ योगा प्रशिक्षक/इंटर्नल कमप्लेन कमिटी से संबंधित कार्य/इंडस्ट्री विजिट/ Alumni meet इत्यादि के आयोजन हेतु।	2,00,000/–(दो लाख) प्रति वित्तीय वर्ष नोट :– योग प्रशिक्षण हेतु नियोजित प्रशिक्षकों के पास योग प्रशिक्षण से संबंधित मान्य एवं निर्धारित मानक के अनुरूप प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।
7.	छात्रों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान, नवाचार एवं प्रोजेक्ट संबंधी कार्यों हेतु।	1,00,000/– (एक लाख) प्रति वित्तीय वर्ष (किसी विशेष अनुसंधान एवं नवाचार के लिए समान प्रकृति के कार्य हेतु किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त न की गई हो।)

क्र.	मद का नाम	निर्धारित राशि
8.	अभिभावक–संकाय बैठक (Parents-Faculty Meet) में भाग लेने के लिए आने वाले अभिभावकों के आतिथ्य संबंधी व्यय हेतु।	25,000/–(पच्चीस हजार) प्रति वित्तीय वर्ष
9.	संस्थान द्वारा आयोजित साहित्यिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक उत्सव (tech- fest) तथा विभिन्न क्लबों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के व्यय हेतु।	1,00,000/–(एक लाख) प्रति वित्तीय वर्ष
10.	Hackathon/ Project/ Coding competition	1,00,000/– (एक लाख) प्रति वित्तीय वर्ष
11.	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में छात्र–छात्राओं की भागीदारी	50,000/–(पचास हजार) प्रति वित्तीय वर्ष
12.	छात्र हित में प्रकाशित मानक पत्रिका एवं न्यूजलेटर से संबंधित व्यय हेतु।	50,000/–(पचास हजार)
13.	संस्थान में उपयोग किए जाने वाले जेनरेटर का ईंधन व्यय।	आवश्यकतानुसार, जिसके उपयोग के लिए पर्याप्त कारण एवं साक्ष्य उपलब्ध रहे।
14.	छात्रों के लिए खेल–कूद संबंधी सामग्री के क्रय हेतु।	20,000/–(बीस हजार) प्रति वित्तीय वर्ष
15.	प्रमाण पत्र शुल्क/वार्षिक शुल्क/वार्षिक सदस्यता शुल्क यथा NBA, सिस्को, स्पोकेन टिटोरियल, आइ.ई.ई.ई.प्रोफेशनल सोसाईटी सदस्यता, वेवसाइट मेन्टीनेन्स, अंकेक्षण इत्यादि से संबंधित शुल्क का व्यय हेतु।	₹2,00,000/–(दो लाख) प्रति वित्तीय वर्ष
16.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र शुल्क/फायर और बर्गरली इंश्योरेंस/अग्निशमण यंत्रों का रिफ्युलिंग शुल्क के व्यय हेतु	₹1,00,000/–(एक लाख) प्रति वित्तीय वर्ष

1. उपर्युक्त तालिका में दिये गए सभी मदों में व्यय का पूर्वानुमोदन कार्यकारिणी समिति से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्राचार्य की अध्यक्षता में विभागों के वरीय शिक्षकों/विभागाध्यक्ष की समिति बनाकर उपर्युक्त मदों के लिए आवश्यक कार्यों एवं खर्च का लेखा–जोखा तैयार करने के उपरांत ही संबंधित प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उपर्युक्त वर्णित मदों में कुछ ऐसी मदें हैं, जिनके लिए विभाग द्वारा योजना एवं स्थापना प्रतिबद्ध बजट शीर्ष से आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता

है कि उन मदों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन के अभाव में तथा उक्त मद विशेष में तत्काल आवश्यकता उत्पन्न होने की स्थिति में ही, छात्रहित में उन मदों में छात्र विकास निधि का उपयोग किया जाएगा।

3. छात्र विकास निधि में आवश्यक राशि की उपलब्धतता की स्थिति में ही उपयोग किया जा सकेगा।
4. छात्रहित में आवश्यक ऐसे मद, जिनका उल्लेख उपर्युक्त मदों में नहीं किया गया हो और जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट में भी शामिल न हों ऐसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा कार्यकारिणी समिति की पूर्वानुमति से अधिकतम ₹50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) तक की राशि का व्यय प्रति वित्तीय वर्ष किया जा सकेगा। ऐसे सभी व्यय का शासी निकाय से घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
5. उपर्युक्त मदों के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक होने की स्थिति में, संस्थान द्वारा उक्त अतिरिक्त व्यय किए जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति से प्रस्ताव पारित कराना तथा तत्पश्चात् शासी निकाय से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासी निकाय के पूर्वानुमोदन के उपरांत ही अतिरिक्त व्यय किया जा सकेगा।
6. उपर्युक्त मदों के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्यय बिहार वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सुसंगत निदेशों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
7. छात्र विकास निधि से व्यय के संबंध में पूर्व में विभाग से निर्गत आदेश/निदेश इस हद तक संशोधित/परिवर्तित समझे जाएँगे।

निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार।